मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान हाउस पुनर्निर्माण का निरीक्षण किया

नई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड़ स्थित भवन में ऊपर के स्ट्रक्चर का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है

नई दिल्ली/जयपुर, 26 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। शर्मा ने कहा कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए समय सीमा में पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया जाए।

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि लोअर बेसमेंट में अंडर ग्राउंड वॉटर टैंक एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिविल कार्य

- मुख्यमंत्री ने जनपथ लेन में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित श्री बटुक भैरव मंदिर में दर्शन व पूजा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

पूर्ण होने के साथ ही, हाउस के ऊपरी भाग के निर्माण का करीब 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण में राजस्थान की कलात्मक स्थापत्य शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जाएगा। भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सैण्ड स्टोन का कार्य किया जाएगा। नए राजस्थान हाउस में दो बेसमेंट, भूतल और 6 फ्लोर का प्रावधान रखा गया है। भवन के बेसमेंट में पार्किंग तथा मुख्य भवन में लॉबी, कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, डाईनिंग एरिया, फव्वारा, हैंगिंग झूमर, एट्रियम आदि बनाए जाएंगे। वहीं, प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय व जिम तथा छत पर टैरेस गार्डन, पार्टी हॉल, योग कक्ष आदि की सुविधाएं मिलेंगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनपथ लेन स्थित देवस्थान विभाग द्वारा संचालित श्री बटुक भैरव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने पूजा-अर्चना की।

पहलगाम हमले का हमारी सेना ने मुँहतोड़ जवाब दिया: पायलट

बाड़मेर की जयहिंद सभा में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए

बाड़मेर, 26 मई (नि.सं.)। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में सोमवार को कांग्रेस ने बालाजी फार्म पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया। सभा में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन - पदाधिकारी, नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। इस दौरान वीरांगनाओं का सम्मान किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पहलगाम हमला देश की अस्मिता पर आक्रमण था, भारत पर आक्रमण था, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। जब-जब देश को ललकारा गया, सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि देश में सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो सेना में है। यह सभा सैनिकों को सलाम करने के लिए है। पायलट ने कहा कि हमने नहीं पूछा कि आतंकी कैसे पहलगाम में घुसे, कहां चूक हुई। हमने कोई सवाल नहीं पूछा और सब पूरी एकजुटता के साथ सरकार के साथ रहे। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। यह कैसे और किस शर्त पर हुआ, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाड़मेर में भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में आयोजित जय हिंद सभा को संबोधित किया।

पायलट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी की तीसरी पीढ़ी फौज में है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या शब्द कहे उनके लिए, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार यहां के लोगों से क्यों दुश्मनी निकाल रही है। बिजली पानी के क्या हाल हैं, आप देख रहे हो। उन्हें पता था कि कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो बिजली गुल कर दी। यहां के लोगों से सरकार क्यों दुश्मनी निकाल रही है।

सचिन पायलट ने कहा, आज वो समय आ गया कि 200 देशों को पता चले कि पूरा देश एक है। काफी डेलिगेशन दुनिया के देशों में गए। अच्छा होता कि अधिवेशन बुलाया जाता और सब कहते कि हम एक हैं। सत्र बुलाया जाना चाहिए था और फिर डेलिगेशन भेजे जाते। पायलट ने कहा कि सरहद के लोगों ने निडर होकर छाती सामने की है। सेना के पीछे बाड़मेर-जैसलमेर के लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। जो हमें तोड़ना चाहते हैं, हम उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पायलट ने कहा, हमें गर्व है कि हम बाड़मेर में खड़े हैं। यहां से पाकिस्तान दूर नहीं है। यहां सेना खड़ी है। जान की परवाह किए बिना सेना ने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना के साथ उनके परिवारों को धन्यवाद, जिन्होंने अपनों को बॉर्डर पर भेजा है।

- पायलट ने कहा कि अच्छा होता, पहले संसद का अधिवेशन बुलाया जाता फिर डेलिगेशन भेजे जाते।
- जयहिंद सभा में रणदीप सुरजेवाला, सुखविंदर सिंह रंधावा, गोविन्द डोटासरा, टीकराम जूली, हरीश चौधरी, अशोक गहलोत भी मौजूद थे।

सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश व स्थानीय स्तर के पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

'सुख चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही.....'

भुज, 26 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के क्रम में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में एक जनसभा को भी संबोधित किया और आतंकवाद को लेकर भारत की नीति को एक बार फिर स्पष्ट किया। उन्होंने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरैंस की नीति को फिर से स्पष्ट किया

पीएम ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि भारत पर्यटन में विश्वास करता है, यह एक ऐसी शक्ति है, जो लोगों को एक साथ लाती है। लेकिन, पाकिस्तान जैसे देश हैं, जो आतंकवाद को अपने पर्यटन के रूप में देखते हैं, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।

बिल्डर सत्यनारायण गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने अशोक नगर थाना पुलिस को आदेश दिए कि बिल्डर को ना तो गिरफ्तार किया जाए ना ही कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाए

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 26 मई। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के एक बिल्डर सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ दायर तीन एफ.आई.आर. में अंतरिम राहत देते हुए, अशोक नगर पुलिस थाने में एस.एच.ओ. और जांच अधिकारी को आदेश दिए हैं कि के याचिकाकर्ता, सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न करे।

अदालत ने अपने आदेश में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे "पब्लिक प्रॉसिक्यूटर" (पी.पी.) को आदेश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ था कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले घनश्याम सिंघल और याचिका दायरकर्ता सत्यनारायण गुप्ता के बीच कई 'सिविल' मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर अंतिम फैसला नहीं आया है, जो एफ.आई.आर. में दर्ज विवादों से सीधा संबंध रखते हैं। अदालत ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता सत्यनारायण गुप्ता, पुलिस जांच में सहयोग करेंगे, परंतु पुलिस उन्हें सुनवाई की अगली तारीख या तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तार नहीं कर सकती।

- सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ता बिल्डर सत्यनारायण गुप्ता और उन पर एफ.आई.आर. करने वाले घनश्याम सिंघल के बीच कई सिविल मुकदमे चल रहे हैं, जिनका एफ.आई.आर. में दर्ज विवादों से सीधा सम्बंध है और वे मुकदमे अभी भी लंबित हैं।
- अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी रिकॉर्ड पर लिया कि उस पर 13 साल पुराने मामले में एफ.आई.आर. की गई है क्योंकि घनश्याम सिंघल उस पर पुलिस का दबाव बनाना चाहते हैं और इसमें पुलिस अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है।

न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने यह आदेश सत्यनारायण गुप्ता द्वारा उसके खिलाफ तीन एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वदीप सिंह होरा, अधिवक्ता राजेश महर्षि और अधिवक्ता नरेश सेजवानी पैरवी के लिए पेश हुए थे।

इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि घनश्याम सिंघल और आनंद दलेला ने उसके खिलाफ 420सी, धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक तरीके से विश्वास भंग करने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि एफ.आई.आर. में दर्ज तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने देवी कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को 23 प्लॉट बेचे और इस रकम को एफ.आई.आर. दायरकर्ता घनश्याम सिंघल के साथ बने 'एसक्रो अकाउंट' में नहीं डाला, इसके अलावा, सत्यनारायण गुप्ता ने 57 पट्टों को भी बेचा, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने बिज़नैस पार्टनर घनश्याम सिंघल के साथ साझा नहीं की।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इस मामले में एफ.आई.आर. संपत्ति के बेचान के 13 साल बाद की गई, क्योंकि एफ.आई.आर. दायरकर्ता, याचिकाकर्ता पर पुलिस का दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि वह मोटी रकम लेके मामले का निपटारा कर सके। अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता की दलील को भी रिकॉर्ड पर लिया है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने की साज़िश कर रहे हैं। अदालत ने इस तथ्य को भी रिकॉर्ड पर लिया कि एफ.आई.आर. दायरकर्ता और याचिका दायरकर्ता के बीच मध्यस्थता (आरबिट्रेशन) टल रही है, जिसमें हाईकोर्ट ने 'आरबिट्रेटर' भी नियुक्त किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2025 तय की गई है।

पत्नी की ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ममता के भाई आकाश ने 18 जुलाई, 2023 को शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता का विवाह 12 साल पहले कानाराम से हुआ था।

वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। शाम को उसकी दूसरी बहन, जो ममता की जेठानी भी है ने फोन कर अभियुक्त की ओर से ममता की हत्या की जानकारी दी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, मृतका की बहन ने अदालत को बताया कि घटना के दिन ममता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह उसके कमरे में गई थी। वहां ममता खून में लथपथ पड़ी थी और उसके गले से खून बह रहा था।

वहीं, अभियुक्त उसके पास खड़ा था और उसके हाथ में खून से सना सुआ था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने जज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया, संजीव खन्ना ने समिति की रिपोर्ट, साथ में जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को सौंपी थी। अब यह कार्यपालिका और संसद की जिम्मेवारी है कि वे इस मामले में अगला कदम क्या उठाते हैं।

न्यायपालिका की इनहाउस प्रक्रिया के अनुसार, यदि किसी न्यायाधीश को पद छोड़ने की सलाह दी जाती है और वह इस्तीफा नहीं देता, तो सी.जे.आई. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संभावित महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पत्र लिखता है। आठ मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में पुष्टि की: "भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इनहाउस प्रक्रिया के तहत, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है तथा तीन-सदस्यीय समिति की 3 मई की रिपोर्ट की एक प्रति तथा जस्टिस यशवंत वर्मा से दिनांक 6 मई को प्राप्त पत्र/प्रतिक्रिया को संलग्न किया है।"

- कमेटी ने अपनी जाँच के आधार पर रिपोर्ट बनाकर मु.न्यायाधीश के समक्ष पेश की थी जिसे मु. न्यायाधीश ने राष्ट्रपति व प्र.मंत्री से साझा किया था।
- इस रिपोर्ट की कॉपी सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई थी। न्यायालय ने यह रिपोर्ट साझा करने में असमर्थता जताई थी।

'मैं भारतीय हूँ, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट में लोगों का गुस्सा साझा किया और संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एसबीआई के अधिकारियों को टैग भी किया। कई कांग्रेस नेताओं और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने भी कहा कि बैंकों में इस प्रकार की कन्नड़ विरोधी मानसिकता अब बहुत आम होती जा रही है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। बढ़ते जनदबाव के बीच शनिवार को एसबीआई ने संबंधित महिला अधिकारी का तबादला कर दिया। इस कार्यवाही का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा, "सूर्य नगर, अनेकल तालुक की एसबीआई शाखा की मैनेजर द्वारा कन्नड़ और अंग्रेजी में बात न करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना अत्यंत निंदनीय है। हम अधिकारी के त्वरित तबादले के लिए एसबीआई की सराहना करते हैं। अब इस मामले को बंद समझा जा सकता है।" उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऐसे घटनाएं फिर से नहीं होनी चाहिए। सिद्दारमैया ने कहा, "सभी बैंक कर्मचारियो को ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग से आग्रह करता हूं कि वे पूरे भारत में बैंक स्टाफ के लिए सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करें। स्थानीय भाषा का सम्मान करना, लोगों को सम्मान करना आवश्यक है।"

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एसआई भर्ती में एक माह का समय दिया

जयपुर, 26 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को आखिरी एक माह का समय देते हुए कहा है कि एक जुलाई को राज्य सरकार भर्ती के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर अदालत में जवाब पेश करे। वहीं, अदालत ने अन्य पक्षों को अपनी लिखित बहस पेश करने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि कैबिनेट सब कमेटी की 21 मई को प्रस्तावित बैठक को 20 मई को बुलाकर एसआई भर्ती के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई थी। वहीं, 22 मई को बीकानेर में कार्यक्रम होने और 24 मई को नीति आयोग की बैठक की तैयारियों के चलते आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा, 25 मई को सीएम कॉन्क्लेव के चलते भर्ती को लेकर निर्णय नहीं हो सका। इसलिए भर्ती पर निर्णय के लिए समय दिया जाए।

जस्टिस जैन- हम खंडपीठ के आदेश से बंधे हुए हैं। आप भर्ती को लेकर निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं।

महाधिवक्ता - भर्ती को लेकर बैठक की गई थी, बाद में उक्त आयोजनों के कारण निर्णय नहीं हो सका। इस संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है।

- महाधिवक्ता ने विश्वास दिलाया कि अगली सुनवाई में सरकार खाली हाथ नहीं आयेगी

जस्टिस जैन- आपको कितना समय चाहिए। हम मामले की सुनवाई परसों रख देते हैं।

महाधिवक्ता- तीन दिन बाद समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई जुलाई में रखी जाए। भर्ती को लेकर विभिन्न आयामों को देखना है।

याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र सिंघल- सरकार पहले की लंबा समय ले चुकी है। अब समय नहीं दिया जाए।

जस्टिस जैन - चलिए फिर, आपके प्रार्थना पत्र को अलग रखते हैं और केस को मेरिट के आधार पर तय कर देते हैं। आप राय दे चुके हैं। अब क्या कहना है। आप चाहें तो हम अपनी छुट्टियां स्थगित कर मामला सुन सकते हैं।

महाधिवक्ता- राय देते समय रिपोर्ट थी कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थी अनुचित साधनों से पास हुए हैं। जांच के बाद, अभी तक करीब 50 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई है।

याचिकाकर्ता के वकील पूर्व एएजी आरपी सिंह- जब सरकार के एजी, कैबिनेट सब कमेटी और एसओजी की एसआईटी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं। फिर अब सब कमेटी को बैठक कर क्या तय करना है। ऐसी मॉकरी कब तक चलेगी।

जस्टिस जैन- मॉकरी, आपके समय क्या होता था।

महाधिवक्ता- इस बार अंतिम मौका दे दें। अब तक जो हुआ, सो हुआ। आगामी सुनवाई को सरकार खाली हाथ नहीं आएगी। भर्ती को लेकर लिया गया निर्णय ठोस आधारों के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।

जस्टिस जैन- हम आखिरी मौका दे रहे हैं। यदि अभी भी निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने होंगे।

देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय

नयी दिल्ली, 26 मई। दक्षिण-पश्चिम मानसून मुंबई, बेंगलुरु और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के कई हिस्सों में सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को बताया कि मानसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके अलावा, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी मानसून पहुंच गया है। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी सोमवार को मानसून की बारिश हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुयी हैं और यह जल्द ही अरब सागर के मध्य भाग, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हो जायेगा।

कोटपूतली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नोटिस दिये जाने के बाद किये गये थे। जुलाई 2022 में सभी याचिकाकर्ताओं को जो नोटिस दिये गये, वे दो गवाहों इद्रजीत और राम कुमार सैनी द्वारा हस्ताक्षरित थे और सभी नोटिस में केवल यही दो या तीन लोग गवाह बनाये गये। पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 15 दिन में एक कमेटी का गठन करे और याचिकाकताओं से आपत्तियां मंगाई जाये। कमेटी सभी याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित कर आपत्तियों पर कानून के अनुसार निर्णय करेगी। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई याचिकाकर्ता अपने वैध दस्तावेजों से परिसर पर कब्जा रखता है, और सड़क के विस्तार के लिये उसकी आवश्यकता है, तो उसे मौजूदा दरों के अनुसार उचित दर पर पर्याप्त मुआवजा दिया जाये ओर उसे किसी भी क्रियान्वित सरकारी योजना के तहत उसकी पात्रता के अनुसार भूमि आवंटित की जा सकती है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो कानून के अनुसार आगे कार्यवही करने की स्वतंत्रता होगी।

बाँग्लादेश की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ी है, जिसमें सिविल सेवकों, शिक्षकों, राजनीतिक दलों और सेना जैसे समूहों ने अंतरिम सरकार पर शीघ्र लोकतांत्रिक चुनाव कराने का दबाव डाला है। पिछले रविवार सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर लोक प्रशासन मंत्रालय को अनुशासनहीनता के मामलों में, बिना लंबी प्रक्रिया के, सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अनुमति दी, लेकिन भारी विरोध के चलते सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा।

यूनुस सरकार एक ओर तो शीघ्र चुनाव कराने और दूसरी ओर सुधारों की जोर पकड़ती माँग के बीच फंसी हुई है। यूनुस ने कहा है कि आम चुनाव जून 2026 में कराए जा सकते हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग कर रही है। हाल ही में, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़ ज़मान ने भी सरकार पर दबाव बनाते हुये, वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर असंतोष जताया और दिसंबर में चुनाव कराने की आवश्यकता बताई।

अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश में, यूनुस भारत को एक हौआ के रुप में पेश करते आ रहे हैं और उनके सलाहकारों ने बांग्लादेश की स्थिति को "युद्ध जैसी परिस्थिति" कहा है। कुछ दिन पहले, उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी, लेकिन उनकी सरकार ने तुरंत ही इसका खंडन जारी कर दिया था।

इस सप्ताह मोदी बिहार में पार्टी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुष्टि की है कि नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के घटक दलों में सीट आवंटन को लेकर गंभीर मतभेद उभरकर सामने आये हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जेडीयू राज्य की 243 सीटों में से कम से कम 121 सीटें माँग रहा है तथा कह रहा है कि उसका क्षेत्रीय आधार और शासन का रिकॉर्ड उसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का पात्र बनाते हैं। पार्टी ने जोर देते हुये कहा है कि बाकी 122 सीटें भाजपा और उसके छोटे -मोटे मित्र दलों, जैसे चिराग पासवान की "लोक जनशक्ति पार्टी" (राम बिलास), उपेन्द्र कुशवाहा के "राष्ट्रीय लोक जनता दल" तथा जीतनराम माँझा के "हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा" में बाँट दी जायें।

लेकिन भाजपा नेतृत्व के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि पार्टी जेडीयू को 100 से अधिक सीटें देने के लिये तैयार नहीं है। राज्य में अपने पैर पसारने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये, भाजपा बड़े हिस्से के लिये जोर देती बताई जा रही है, खासतौर से उन चुनाव क्षेत्रों में, जहाँ 2019 के लोकसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन दमदार रहा था।

भाजपा के रणनीतिकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर वह अकेली चुनाव लड़ती है तो उसे 60 सीटों का आँकड़ा पार करने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। एनडीए के टूटने का सीधा लाभ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) तथा कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन को मिलेगा, जिसका मुस्लिम तथा ओबीसी मतदाताओं का आधार मजबूत होता दिखाई दे रहा है।

राजनैतिक विश्लेषकों को इन समुदायों में आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन की ओर उल्लेखनीय शिफ्टिंग दिखाई दे रही है तथा बहुत से मतदाता तो अगले मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को खुले तौर पर स्वीकार करते बताये जाते हैं। विपक्षी गठबंधन को इस बात का भी लाभ मिल रहा है कि एनडीए में साफ दिखाई दे रहे मनमुटाव और अनबन की तुलना में विपक्षी गठबंधन के अंदरूनी समीकरण काफी सहज, मधुर एवं निर्विघ्न दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ भाजपा पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई थी, वहीं, अब पार्टी में जेडीयू नेता के स्वास्थ्य एवं राजनैतिक विश्वसनीयता को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि अगर एनडीए की सत्ता में वापसी होती है, तो चुनाव बाद के जोड़तोड़ में पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाने का प्रयास कर सकती है।

ऐसा माना जा रहा है कि सप्ताहांत में हुई नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का उद्देश्य मतभेदों को समाप्त करना ही था, लेकिन अंदरूनी लोगों का कहना है कि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है। चूँकि चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, इसलिए दोनों पार्टियों को अपने विवादों को सुलझाने की बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, ताकि तेजी से ताकतवर हो रहे विपक्ष के सम्मुख एक संगठित मोर्चा प्रस्तुत किया जा सके।

उदयपुर में करोना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जांच कराई थी। शनिवार को उसे अपने पॉजीटिव होने की खबर मिली और वह भी अपने घर पर उपचाररत है। उदयपुर में कोविड की एंट्री को लेकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एमबी अस्पताल में विशेष कोविड वार्ड शुरू कर दिया गया है, जिसमें कोविड मरीजों के लिए फिलहाल दस बैड आरक्षित रखे हैं। स्वाइन फ्लू विंग में शुरू किए गए इस वार्ड में स्वाइन फ्लू के पच्चीस बैड अलग से हैं। आवश्यकता पड़ने पर बैड बढ़ाए जा सकेंगे।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908